यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अधिकारी, रूद्रपुर (उधम सिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला खान अधिकारी, रूद्रपुर (उधम सिंह नगर) के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल, एवं बृज भूषण मणि त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा आशीष तड़ियाल, ले.प.द्वारा दिनांक 06.08.2018 से 16.08.2018 तक श्री पी. के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कलवन्त सिंह, व श्री डी.के. श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.11.2017 से 18.11.2017 तक श्री नवीनचन्द्र शंखधर, लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-**
3. (ii) (अ)**राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वाराअर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है।

वर्ष	अर्जितराजस्व (रू लाख में)
2015-16	2541
2016-17	3434
2017-18	7132

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना`	गैरस्थापना`	आवंटन`	व्यय`	आवंटन`	व्यय`		
शुन्य								

(स) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजनाकानाम	प्रारम्भिकअवशेष`	प्राप्त`	व्ययअधिक्य(+)`	बचत(-)`
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन: शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0 ओ0 द्वारा सभी जनपदों को किया जाता है|गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई ‘A’ श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख-सचिव सचिव-अपर सचिव-निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक–उपनिदेशक(भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी)- खान अधिकारी/सहायक भूवैज्ञानिक-सर्वेक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षामें **जिला खान अधिकारी, रूद्रपुर (उधम सिंह नगर)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अधिकारी, रूद्रपुर (उधम सिंह नगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi)**विस्तृत जांच हेतु माह का चयन**:-

राजस्व: माह 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह...................को विस्तृत जांच(व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :-लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डीपीसी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर:-01 निर्माण इकाइयों द्वारा अवैध खनन पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 12.21 करोड़।

"उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23 (2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति (जिला खान अधिकारी, सदस्य सचिव) से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन, खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM-8/MM-1 तथा तदनुसार आवेदन शुल्क क्रमश: अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹5000/- व चुगान पट्टे हेतु ₹100000/-निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुये आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तांकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।

कार्यालय जिला खान अधिकारी रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 06 निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। जबकि इन निर्माण इकाइयों के द्वारा रॉयल्टी के रूप में ₹**30518727**/- जमा किया गया था। यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत किये जाते तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता, लेकिन विभाग के द्वारा नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण उपखनिजो का अवैध खनन, परिवहन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया था, जिससे राजस्व हानि हुई। प्रदेशांतर्गत किसी भी प्रकार का उप खनिज बिना अनुज्ञा पत्र /पट्टा के खनन नहीं किया जा सकता है लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिजों का खनन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया और रॉयल्टी जमा किया गया था। जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर, 2016 के अनुसार अवैध उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाने का प्रावधान है। उल्लिखित नियमानुसार निर्माण इकाईयों के द्वारा बिना अनुज्ञा / पट्टा के ही निर्माण कार्यो में प्रयुक्त की गई उपखनिजों के सापेक्ष ₹ **30518727.00/-** रॉयल्टी जमा किया गया था, का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाना था, जिसे खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये

जाने के कारण शासन को ₹122074908.00 (**30518727**x5 =152593635 - **30518727**) की राजस्व क्षति हुई।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिले में कार्यरत कुल 16 निर्माण इकाइयों में से लेखा परीक्षा तिथि तक 8 इकाइयों की सूचना उपलब्ध कराया गया। शेष 6 इकाइयों की भी सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध करना लेखा परीक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: नियमावली /नीति के प्रावधानानुसार कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप ₹12.21 करोड़ की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्र सं	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र / खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि का विवरण
1	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (PWD) काशीपुर	-
2	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड (PWD) रुद्रपुर	Nil
3	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (PWD) खटीमा	Nil
4	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, रुद्रपुर	-
5	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड सितारगंज	1193649.00
6	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड काशीपुर	6846490.00
7	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD), रुद्रपुर	1677917.00
8	अधिशासी अभियंता, ट्यूब वेल खण्ड, बाजपुर	353334.00
9	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, रुद्रपुर	-
10	अधिशासी अभियंता, एशियन विकास बैंक (PWD) खंड रुद्रपुर	20256142.00
11	अधिशासी अभियंता, ई/एम खंड (PWD) बाजपुर	-
12	अधिशासी अभियंता, पेयजल निर्माण इकाई, रुद्रपुर	-
13	निदेशक/ विभागाध्यक्ष कृषि विश्वविध्यालय, पंतनगर	-
14	निदेशक/ विभागाध्यक्ष SIDCUL, रुद्रपुर/पंतनगर	-
15	मुख्य नगर पालिका/ निगम, अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी रुद्रपुर/ काशीपुर/ खटीमा	191195.00
16	विभागाध्यक्ष, उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण,	-

	रुद्रपुर (वर्ष 2017-18 में निर्माणाधीन बहुमंजिला भवनो की पता एवं प्राक्कलित निर्माण मूल्य सहित सूची)	
	उक्त के अतिरिक्त कोई अन्य बृहत निर्माण कार्य जिले में निर्माणाधीन हो, को भी सूची में शामिल कर सूचना उपलब्ध करने हेतु पत्र प्रेषित करने की कृपा करें	-
		30518727.00

भाग 2 (अ)

प्रस्तर:-02 नवीनीकरण शुल्क वार्षिक शुल्क न लिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹29.00 लाख।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनाँक 19.11.2016 के अंतर्गत उत्तराखण्ड स्टोन क्रैशर अनुज्ञा नीति 2016 के अध्याय-I के बिन्दु 9 के अनुसार पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रैशर स्वामियों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांट की क्षमता (टन/घण्टा के अनुसार) घोषित किया जाना था।

अध्याय-III- के बिन्दु 1(1) के अनुसार स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/ हाट मिक्स प्लांट, रैडि मिक्स प्लांट का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क अध्याय-II के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत होगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया कि 09 स्टोन क्रेशर संचालकों द्वारा नियमानुसार/नीति अनुसार वार्षिक शुल्क ₹ 2900000/- जमा नही किया गया था। विभाग द्वारा स्टोन क्रेशर संचालकों से वार्षिक शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।(विवरण संलग्न)

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा यथाशीघ्र वसूली की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: नवीनीकरण शुल्क न लिए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 29.00 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

नवीनीकरण वार्षिक शुल्क जमा न करने वाले स्टोन क्रेशरों का विवरण

क्र.सं.	स्टोन क्रेशर धारक का नाम	स्टोन क्रेशर की वैधता तिथि	स्वीकृत क्षमता टन प्रति घण्टा	शासनादेश दि. 19/11/2016 के अनुसार देय आवेदन शुल्क	दि. 19/11/2016 के बाद देय नवीनीकरण वार्षिक शुल्क (आवेदन शुल्क का 25%)
1	मै0 हिमालयन बिल्डस्टोन लि0 ग्राम लुधपुरा तहसील बाजपुर	29/01/2018 से 05 वर्ष हेतु	200	12,00,000	300000
2	मै0 हरिहर स्टोन क्रेशर प्रा0 लि0 ग्राम कनौरी	29/01/2018 से 05 वर्ष हेतु	100	1000000	250000
3	मै0 श्री गणपति स्टोन क्रेशर पार्टनर श्री मेघराज गर्ग पुत्र श्री परस राम गर्ग, ग्राम नूरपुर, तहसील बाजपुर।	26/06/2015 से 05 वर्ष हेतु	100	1000000	250000
4	मै0 एल0 एस0 सी0 इंफ्राटेक लि0 ग्राम गोबरा तहसील बाजपुर।	05/05/2016 से 05 वर्ष तक	400	1600000	400000
5	मै0 ओमकार इंफ्राटेक लि0 ग्राम इटव्वा, तहसील बाजपुर।	15/11/2016 से 05 वर्ष के लिये	600	2000000	500000
6	मै0 जोगीपुर स्टोन क्रेशर प्रो0 श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र कोटू राम नि0 ग्राम जोगीपुर, तहसील बाजपुर।	21/12/2016 से 05 वर्ष के लिए	100	1000000	250000
7	मै0 गोविंद स्टोन क्रेशर, नूरपुर तहसील बाजपुर	22/06/2018 से 05 वर्ष के लिए	150	12,00,000	300000

8	में0 नैशनल स्टोन क्रेशर, ग्राम जुडका काशीपुर	21/12/2016 से 05 वर्ष के लिए	400	16,00,000	400000
9.	मै० महादेव स्टोन क्रेशर, ग्राम दभौरा एहतमाली तहसील काशीपुर	15/11/2016 से 05 वर्ष के लिए	100	1000000	250000
योग				1,16,00,000	29,00,000

<u>भाग 2 (अ)</u>

प्रस्तर:- 03 कुमाऊँ मण्डल विकास निगम से वार्षिक अपरिहार्य भाटक ₹ 42.31 लाख एवं इस पर ब्याज की धनराशि न वसूला जाना।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1561/VII/80-ख/2016 दिनांक 30 सितंबर, 2016 उत्तराखंड उपखनिज(बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के नियम 8(ग) के अनुसार निगमों को आवंटित राजस्व लाटों को निविदा प्रक्रिया से आवंटन हेतु कार्यवाही 21 दिन की विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर की जाएगी। प्रथम विज्ञप्ति के उपरांत चुगान क्षेत्रों के आवंटन न होने पर दूसरी विज्ञप्ति एक सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। दूसरी विज्ञप्ति के उपरांत भी यदि चुगान क्षेत्र निविदा पर आवंटित नहीं हो पाता है तो उस दशा में चुगान का कार्य स्वयं निगम के द्वारा किया जाएगा। यदि शासन द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्रों में कुमाऊ मण्डल विकास निगम के द्वारा यथा समय समर्पण किया जाता तो उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 नियम 9 के अनुसार आवंटित कर राजस्व प्राप्त की जाती। उक्तलिखित नीति के नियम 16 के अनुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक या रॉयल्टी की धनराशि का भुगतान समयांतर्गत न किए जाने की दशा में बकाया धनराशि पर 24% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा। उत्तराखंड शासन औधौगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 211/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 के अनुसार प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक ₹ 80000.00 प्रति वर्ष निर्धारित है। पूर्व में वार्षिक अपरिहार्य भाटक ₹40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष निर्धारित था।

उत्तराखंड शासनादेश संख्या 2258/ VII-1-13/ 19-ख/ 2012 दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 के अनुसार कुमाऊ मण्डल विकास निगम को जनपद उधम सिंह नगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली में कुल रकवा 6.622 हैक्टेयर राज्य सरकार की भूमि में उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु खनन पट्टा 05 वर्ष हेतु स्वीकृत किया गया था। इस के तारतम्य में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा 08 जनवरी, 2014 को कतिपय शर्तों के साथ कार्यदेश जारी किया था। कार्यदेशानुसार प्रथम वर्ष हेतु ₹30279600/-निश्चित किया गया था, जिसे 09 समान किश्तों में जमा किया जाना था, पट्टा बिलेखानुसार पट्टा धंनराशि का प्रति किश्त ₹3364400 जमा किया जाना था।

इसी प्रकार मडैया गुलचारी तहसील बाजपुर में कुल रकवा 04.80 हेक्टेयर राज्य सरकार की भूमि में उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु खनन पट्टा 05 वर्ष हेतु स्वीकृत किया गया था। पट्टा धनराशि ₹ 5814000/- का भुगतान प्रति वर्ष ₹646000/- की 09

किश्तों में करना था। इसके सापेक्ष पट्टाधारक द्वारा 04 किश्त मई, 2014 तक ₹2584000 (646000 X 04) जमा किया गया है।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निगम के द्वारा उकरौली के पट्टा धनराशि ₹ 30279600/- के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि सहित ₹ 16822000/- दिनांक 04/04/2014 तक ही जमा किया गया है। मडैया गुलजारी पट्टा के सापेक्ष 04 किश्त मई, 2014 तक 2584000 (646000 X 04) जमा किया गया है तत्पश्चात पर्शनगतत दोनों खनन पट्टों के सापेक्ष वर्ष 2016-17 स 2017-18 तक कोई धनराशि जमा नहीं की गयी है। अत: उल्लिकित नियमानुसार पट्टाधारक के अपरिहार्य वाषिक भाटक की वसूली नहीं की गई है।

क्र.सं.	खनन पट्टा का नाम	कुल क्षेत्र हेक्टे0 में	कुल क्षेत्र एकढ़ में	वार्षिक अपरिहार्य भाटक ₹280000 प्रति एकड़ की दर से	कुल देय अपरिहार्य भाटक (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए)
1	तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली	6.622	16.363	1309040	2618080
2	मडैया गुलजारी तहसील बाजपुर	04.08	10.082	806560	1613120
				योग	4231200

उक्त विवरण के अनुसार कुमाऊ मण्डल विकास निगम से वार्षिक अपरिहार्य भाटक ₹ 42.31 लाख की वसूली नही की गयी है, समें 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी आरोपणीय है।

उक्त को इंगीत करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि “जांचोपरांत कार्यावाही की जाएगी”।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जब स्वीकृत खनन क्षेत्र के सापेक्ष कोई धनराशि जमा नहीं किया जा रहा था, तो तत्समय ही पट्टाधारक को निश्चित धनरासि जमा करने हेतु लिका जाना चाहिए था।

अत: कुमाऊ मण्डल विकास निगम से वार्षिक अपरिहार्य भाटक ₹ 42.31 लाख एवं इसमें 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज आरोपित कर न वसूले जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:-01 अवैध भंडारण करने पर स्टोन क्रेशर को सीज न किए जाने के परिणामस्वरूप प्रशमन की धनराशि वसूल न किया जाना ₹ 1.18 करोड़ ।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण)नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर, 2016 के अनुसार अवैध खनन पर ₹ 200000/- अर्थदण्ड और उपखनिज परिवहन करने वाले वाहन के प्रकार के अनुसार ₹5000/- से 50000/- तक अर्थदण्ड एवं परिवहन की जा रही उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला खान अधिकारी रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तहसील बाजपुर में स्वीकृत स्टोन क्रेशर के उपखनिज भंडारण की संयुक्त जांच की गयी थी। जिसमें सभी स्टोन क्रेशरों में अभिलेखों में अंकित उपखनिज से अधिक उपखनिज पाये जाने पर प्रशमन आरोपित किया गया था। निम्नलिखित 5 स्टोन क्रेशर में तीन स्टोन क्रेशर को सीज किया गया था, इनके द्वारा प्रशमित धनराशि जमा कर दी गयी थी। लेकिन दो स्टोन क्रेशर मै0 गुरु स्टोन क्रेशर ग्राम जगन्नाथपुर एवं मै0 हरिहर स्टोन क्रेशर ग्राम कनौरी को सीज नहीं किया गया था। इसलिए सीज न किए जाने वाले स्टोन क्रेशरों द्वारा प्रशमन की धनराशि ₹11774000/- क्रमश: (2698320+9075680) लेखा परीक्षा तिथि तक जमा नहीं की गयी थी।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत तीन स्टोन क्रेशरों पर सी सी टी वी कैमरे नहीं होने के कारण या सही दिशा में नहीं या स्पष्ट दिखाई नहीं देने के कारण उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा सीज किए गए। शेष 2 क्रेशर वर्तमान में बन्द है, एवं सी सी टी वी कैमरा लगे होने के कारण सीज नहीं किया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि सभी पांचों क्रेशरों में अभिलेखों में अंकित उपखनिज से अधिक उपखनिज का भंडारण पाया गया था। जो अवैध भंडारण कि श्रेणी में आता है। सी सी टी वी कैमरा लगा होना या सही दिशा में नहीं या स्पष्ट दिखाई नहीं देना, स्टोन क्रेशर का सीज करने का पर्याप्त आधार न होकर अभिलेखों में अंकित उपखनिज से अधिक उपखनिज भंडारित होना ही सीज करने का पूर्ण आधार है।

अत: अवैध भंडारण करने पर स्टोन क्रेशर को सीज न किए जाने के परिणामस्वरूप प्रशमन की धनराशि ₹1.18 करोड़ वसूल न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर:-04 आवेदन शुल्क जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹1.78 करोड़।

उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास विभाग के पत्रांक 1033/VII -1/2015/146-ख/ 2010 देहरादून दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा ईट भट्टा के स्वीकृति/संचालन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम0 एम0- 8 में जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन शुल्क ₹ 5.00 लाख (रु.पाँच लाख) सहित प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर ईट भट्टा स्वीकृति/संचालन संबंधी अनुज्ञा 01 वर्ष की अवधि के लिए प्रपत्र एम0 एम0 10 स्वीकृत किया जाएगा। तत्पश्चात उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग -1 के पत्रांक 1725 /VII-1/2015/146ख/2010 देहरादून दिनांक 30 अक्तूबर 2015 के द्वारा ईट भट्टा के स्वीकृति/संचालन हेतु आवेदन शुल्क ₹2.50 लाख (रु. दो लाख पचास हजार)निर्धारित किया गया था।

कार्यालय जिला खान अधिकारी रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 71 ईट भट्टों के प्रत्येक संचालक द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए प्रति भट्टा आवेदन शुल्क ₹250000/- जमा किया जाना अपेक्षित था। जबकि ईट भट्टों के संचालकों द्वारा कोई भी धनराशि जमा न करने के बावजूद भी ईट भट्टों का संचालन किया गया था। इस प्रकार ईट भट्टों के संचालकों द्वारा वर्ष 2017-18 में ₹17750000/- जमा किया जाना अपेक्षित था (सूची संलग्न है)। इसी प्रकार वर्ष 2015-16, 2016-17 में भी आवेदन शुल्क जमा नहीं किया गया था। उक्त आवेदन शुल्क की धनराशि पर जमा करने की दिनांक तक 24% वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि प्रकरण माननीय न्यायालय एवं शासन स्तर पर लम्बित होने के कारण आवेदन शुल्क जमा नहीं हो पाया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आवेदन शुल्क जमा किये बिना ईट भट्टा का संचालन किया जाना अवैध की श्रेणी में आता है, खनन नीति में ईट भट्टा का अवैध संचालन किये जाने पर अर्थदण्ड का प्रावधान न होने के कारण निरन्तर राजस्व क्षति हो रही है।

अत: आवेदन शुल्क जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹1.78 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

कार्यालय अभिलेखानुसार जनपद ऊधमसिंहनगर में स्थापित ईट भट्टा का विवरण।

क0 सं0	ईट भट्टा का नाम	स्थापित ईट भट्टा का स्थान	पाये की संख्या	देय आवेदन शुल्क	अदा किया गया आवेदन शुल्क	अवशेष धनराशि
1–	मै0 रानी ग्रामोद्योग, विकास संस्थान,	ग्राम पुरनापुर तहसील खटीमा	23	250000	शून्य	250000
2–	मै0 जनता ब्रिक फिल्ड,	ग्राम बानूसी तहसील खटीमा	23	250000	शून्य	250000
3–	मै0 इण्डिया ब्रिक फिल्ड,	ग्राम झनकट, तहसील खटीमा	22	250000	शून्य	250000
4.	मै0 उत्तराखण्ड ब्रिक फिल्ड,	ग्राम पटपुरा, तहसील सितारगंज	21	250000	शून्य	250000
5–	मै0 कुर्माचल ब्रिक फिल्ड	ग्राम सड़ासडिया, तहसील खटीमा	21	250000	शून्य	250000
6–	मै0 गोल्डन ब्रिक फिल्ड,	ग्राम प्रतापपुर, तहसील सितारगंज।	19	250000	शून्य	250000
7–	मै0 तराई ग्रामोद्योग संस्थान,	ग्राम बानूसा, तहसील खटीमा	21	250000	शून्य	250000
8–	मै0 उत्तराचल ब्रिक फिल्ड,	ग्राम पटपुरा तहसील खटीमा	21	250000	शून्य	250000
9–	मै0 किसान ब्रिक फिल्ड,	ग्राम जसारी, तहसील खटीमा	23	250000	शून्य	250000
10–	मै0 नानकमत्ता ब्रिक फिल्ड,	ग्राम पचपेड़ा(नानकमत्ता), तह0 सित	23	250000	शून्य	250000

11–	मै0 किसान ब्रिक ग्रामोद्योग विक समिति,	ग्राम खैराना, तहसील सितारगंज	23	250000	शून्य	250000
12–	मै0 एजाज ब्रिक इण्डस्ट्रीज,	ग्राम बहेड़ी, अंगदपुर, तहसील जसपु	20	250000	शून्य	250000
13–	मै0 के0जी0एन0 ब्रिक उद्योग,	ग्राम बहेड़ी, तहसील जसपुर	21	250000	शून्य	250000
14–	मै0 न्यू किसान ब्रिक फिल्ड,	ग्राम पिपलिया–1, तहसील गदरपुर	23	250000	शून्य	250000
15–	मै0 कादरी ब्रिक उद्योग,	ग्राम सैजनी, तहसील सितारगंज	23	250000	शून्य	250000
16–	मै0 हिना ब्रिक उद्योग,	ग्राम ढुडलिया, गोविन्दपुर तह0 सित	23	250000	शून्य	250000
17–	मै0 कुमॉऊ ब्रिक उद्योग	ग्राम मकरन्दपुर, तहसील गदरपुर	22	250000	शून्य	250000
18–	मै0 न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स	ग्राम जगतपुर, तहसील जसपुर	23	250000	शून्य	250000
19–	मै0 फाईव स्टार ब्रिक वर्क्स,	ग्राम बहेड़ी, तहसील जसपुर	20	250000	शून्य	250000
20–	मै0 प्रिंस ब्रिक फिल्ड	ग्राम महतोश तहसील गदरपुर	23	250000	शून्य	250000
21–	मै0 गुरूनानक ब्रिक उद्योग	ग्राम महतोश तहसील गदरपुर	21	250000	शून्य	250000
22–	मै0 सेठी ब्रिक उद्योग	ग्राम मुकरन्दपुर तहसील गदरपुर	23	250000	शून्य	250000
23–	मै0 बाबा भुम्मन षाह ब्रिक उद्यो	ग्राम रम्पुराकाजी,केलाखेड़ा, तह0 बा	23	250000	शून्य	250000
24–	मै0 न्यू भारत ब्रिक वर्क्स	ग्राम रामनगर तहसील जसपुर,	23	250000	शून्य	250000
25–	मै0 कादरी ब्रिक वर्क्स	ग्राम किषनपुर, तहसील जसपुर	20	250000	शून्य	250000
26–	मै0 न्यू यू0पी0 ब्रिक फिल्ड	ग्राम दरऊ, तहसील किच्छा	23	250000	शून्य	250000
27.	मै0 इस्लाम ब्रिक फिल्ड	ग्राम दरऊ, तहसील किच्छा	23	250000	शून्य	250000
28–	मै0 ए0जी0 ब्रिक्र्स वर्क्स	ग्राम रामानगर, तहसील जसपुर	21	250000	शून्य	250000

29–	मै0 न्यू अमीर ब्रिक उद्योग	ग्राम छिनकी, तहसील किच्छा	23	250000	शून्य	250000
30–	मै0 गुरूनानक ब्रिक फिल्ड	ग्राम हल्दी, तहसील खटीमा	24	250000	शून्य	250000
31–	मै0 लक्ष्मी ब्रिक इण्डस्ट्रीज	ग्राम भैसहा, तहसील खटीमा	24	250000	शून्य	250000
32–	मै0 चॉद ब्रिक उद्योग	ग्राम कुरैया चकौनी तहसील किच्छा	23	250000	शून्य	250000
33–	मै0 उत्तरांचल ब्रिक फिल्ड	ग्राम सरवरनगर तहसील गदरपुर	23	250000	शून्य	250000
34–	मै0 रामा ब्रिक फील्ड	ग्राम फरीदपुर तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
35–	मै0 बसंल ब्रिक फिल्ड	ग्राम लखनपुर तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
36–	मै0 भगवती ब्रिक फिल्ड	ग्राम ह्दयपुर बेरिया रोड,कैलाखेड़ा बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
37.	मै0 षिवा ब्रिक फिल्ड	ग्राम फरीदपुर तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
38–	मै0 एम0आर0 ब्रिक स्टोर	ग्राम कैलाखेड़ा तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
39.	मै0 कोहिनूर ईट उद्योग	ग्राम अमरपुर तहसील गदरपुर	23	250000	शून्य	250000
40–	मै0 तराई ब्रिक फिल्ड	ग्राम रायपुर तहसील रूद्रपुर	23	250000	शून्य	250000
41–	मै0 चॉद ब्रिक फिल्ड	ग्राम भव्वानगला तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
42–	मै0 तराई ब्रिक फिल्ड	ग्राम कैलाखेड़ा तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
43–	मै0 एवन ब्रिक फिल्ड	ग्राम धरमपुर बहेड़ी तहसील जसपुर	20	250000	शून्य	250000
44–	मै0 ख्वाजा ब्रिक फिल्ड	ग्राम अमरपुर तहसील गदरपुर	23	250000	शून्य	250000
45–	मै0 याषाह जी ब्रिक फिल्ड	ग्राम सतुईया तहसील किच्छा	15	250000	शून्य	250000
46–	मै0 रजा ब्रिक इण्डस्ट्रीज	ग्राम बरखेड़ापाण्डे तहसील काषीपुर	23	250000	शून्य	250000

47–	मै0 गफूर ब्रिक वर्क्स	ग्राम गढ़ीइन्द्रजीत तहसील काषीपुर	19	250000	शून्य	250000
48–	मै0अंसार ब्रिक वर्क्स	ग्राम जगतपुर पट्टी तहसील जसपु	22	250000	शून्य	250000
49–	मै0 एस0बी0 ब्रिक फिल्ड	ग्राम अर्जुनपुर तहसील रूद्रपुर	23	250000	शून्य	250000
50–	मै0 आर्षिवाद ब्रिक फिल्ड	ग्राम रामनगर, तहसील बाजपुर	22	250000	शून्य	250000
51–	मै0 सहारा ब्रिक स्टोर	ग्राम केलाखेड़ा तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
52.	मै0 भारत ब्रिक उद्योग	ग्राम केलाखेड़ा तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
53–	मै0 अम्बे ब्रिक थ्ुलउ	ग्राम मनकंठपुर तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
54–	मै0 सुपर स्टार ब्रिक फील्ड	ग्राम हरसान तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
55–	मै0 एवन ब्रिक फील्ड,	स्थित रम्पुरा काजी, तह0 बाजपुर जिला उधमसिंहनगर	23	250000	शून्य	250000
56–	मै0 उत्तराखण्ड ईट उद्योग	ग्राम किषनपुर तहसील जसपुर	23	250000	शून्य	250000
57–	मै0 के0जी0एन0 ब्रिक वर्क्स	ग्राम धीमरखेड़ा, तहसील काषीपुर	23	250000	शून्य	250000
58–	मै0 षुभ ब्रिक क्लीन	ग्राम बरखेड़ापाण्डे, तहसील काषीपुर	21	250000	शून्य	250000
59–	मै0 सैनी थ्री स्टार ईट उद्योग	ग्राम बहेड़ी तहसील जसपुर	23	250000	शून्य	250000
60–	मै0 षान ब्रिक फील्ड	ग्राम पिपलिया नं0–1, तहसील गद	22	250000	शून्य	250000
61–	मै0 जी0आर0 ब्रिक फील्ड	ग्राम जाफरपुर तहसील रूद्रपुर	22	250000	शून्य	250000
62–	मै0 अरमान ब्रिक फील्ड	ग्राम दरऊ तहसील किच्छा	23	250000	शून्य	250000
63–	मै0 भारत ब्रिक फील्ड	ग्राम पटपुरा,सैंजना तहसील खटीमा	21	250000	शून्य	250000
64–	मै0 उत्तराखण्ड ब्रिक उद्योग	ग्राम भव्वानगला तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000

65–	मै0 के0जी0एन0 ब्रिक फील्ड	ग्राम षोकानगला, तहसील बाजपुर	21	250000	शून्य	250000
66–	मै0 षकील ब्रिक इण्डस्ट्रीज	ग्राम किषनपुर तहसील जसपुर	21	250000	शून्य	250000
67–	मै0 उत्तराखण्ड ब्रिक उद्योग	ग्राम उदयनगर, तहसील रूद्रपुर	23	250000	शून्य	250000
68.	मै0 इंसाफ ब्रिक फील्ड	ग्राम लम्बाखेड़ा, तहसील रूद्रपुर	23	250000	शून्य	250000
69.	मै0 गरुनानक ब्रिक फील्ड	ग्राम हरिपुरा मसीत तहसील गदरपुर	23	250000	शून्य	250000
70–	मै0 किसान ब्रिक उधयोग	ग्राम रामनगर तहसील बाजपुर	22	250000	शून्य	250000
71–	मै0 न्यू सकलेनी ब्रिक फील्ड	ग्राम रमपुरा काजी तहसील बाजपुर	23	250000	शून्य	250000
		योग		17750000	शून्य	17750000

भाग 2 (अ)

प्रस्तर:-05 समाधान योजना की धनराशि जमा न करने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 60.95 लाख।

सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1857/24ख/2007 टी सी दिनांक 8 नवम्बर/ दिसम्बर 2016 के द्वारा 23 पाये हेतु समाधान राशि ₹2.00 लाख एवं प्रति पाया बढोत्तरी होने पर ₹20000/-अतिरिक्त शुल्क व प्रति पाया घटने पर ₹20000/- कम करके निर्धारित करने की स्वीकृति माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान किया जाना अंकित है। उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग के पत्रांक 1754/VII-1/16/24-ख/ 07 टीसी देहरादून दिनांक 8 दिसम्बर 2016 के द्वारा ईंट की रॉयल्टी की दर ₹100/-प्रति हजार निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जनपद के अन्तर्गत कार्यरत 30 ईट भट्टों के संचालकों द्वारा समाधान योजना के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम धनराशि ₹ 5300000/- एवं जिला फाउंडेशन न्यास को देय धनराशि ₹ 795000/- (समाधान राशि का 15%) जमा किया जाना अपेक्षित थी। जो कि ईट भट्टों के संचालकों द्वारा जमा न किये जाने पर विभाग द्वारा इस धनराशि की वसूली करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी (सूची संलग्न है)।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि इसमे अधिकांश ईट भट्टों के संचालकों के विरुद्ध भू-राजस्व की भांति वसूली पत्र जारी किया जा चुका है, शेष वसूली की कार्यवाही गतिमान है। किन्तु विभाग वसूली की कार्यवाही किये जाने का साक्ष्य उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा।

अत: समाधान योजना की धनराशि जमा न करने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹60.95 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों/ शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

कार्यालय अभिलेखानुसार जनपद ऊधमसिंहनगर में स्थापित ईट भट्टा का विवरण।

क्र0 सं0	ईट भट्टा का नाम	स्थापित ईट भट्टा का स्थान	पाये की संख्या	समाधान की देय धनराशि	जिला फाउंडेशन न्यास की देय धनराशि (समाधान राशि का 15 प्रतिशत
01–	मै0 के0जी0एन0 ब्रिक उद्यो	ग्राम बहेड़ी, तहसील जसपुर	21	160000	24000
02–	मै0 न्यू किसान ब्रिक फिल्ड	ग्राम पिपलिया–1, तहसील गदरपुर	23	200000	30000
03–	मै0 न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स	ग्राम जगतपुर, तहसील जसपुर	23	200000	30000
04–	मै0 फाईव स्टार ब्रिक वर्क्स	ग्राम बहेड़ी, तहसील जसपुर	20	140000	21000
05–	मै0 न्यू भारत ब्रिक वर्क्स	ग्राम रामनगर तहसील जसपुर,	23	200000	30000
06–	मै0 कादरी ब्रिक वर्क्स	ग्राम किषनपुर, तहसील जसपुर	20	140000	21000
07–	मै0 ए0जी0 ब्रिक्र्स वर्क्स	ग्राम रामानगर, तहसील जसपुर	21	160000	24000
08–	मै0 न्यू अमीर ब्रिक उद्योग	ग्राम छिनकी, तहसील किच्छा	23	200000	30000
09.	मै0 भगवती ब्रिक फिल्ड	ग्राम ह्दयपुर बेरिया रोड, कैलाखेड़ा बाजपुर	23	200000	30000
10–	मै0 कोहिनूर ईट उद्योग	ग्राम अमरपुर तहसील गदरपुर	23	200000	30000
11–	मै0 एवन ब्रिक फिल्ड	ग्राम धरमपुर बहेड़ी तहसील जसपुर	20	140000	21000
12–	मै0 ख्वाजा ब्रिक फिल्ड	ग्राम अमरपुर तहसील गदरपुर	23	200000	30000

13–	मै0 याषाह जी ब्रिक फिल्ड	ग्राम सतुईया तहसील किच्छा	15	40000	6000
14–	मै0 रजा ब्रिक इण्डस्ट्रीज	ग्राम बरखेड़ापाण्डे तहसील काषीपुर	23	200000	30000
15–	मै0 गफूर ब्रिक वर्क्स	ग्राम गढ़ीइन्द्रजीत तहसील काषीपुर	19	120000	18000
16–	मै0अंसार ब्रिक वर्क्स	ग्राम जगतपुर पट्टी तहसील जसपुर	22	180000	27000
17–	मै0 आर्षिवाद ब्रिक फिल्ड	ग्राम रामनगर, तहसील बाजपुर	22	180000	27000
18–	मै0 भारत ब्रिक उद्योग	ग्राम केलाखेड़ा तहसील बाजपुर	23	200000	30000
19–	मै0 सुपर स्टार ब्रिक फील्ड	ग्राम हरसान तहसील बाजपुर	23	200000	30000
20–	मै0 एवन ब्रिक फील्ड,	स्थित रम्पुरा काजी, तह0 बाजपुर उधमसिंहनगर	23	200000	30000
21–	मै0 उत्तराखंड ईट उधोग	ग्राम किशनपुर तहसील जसपुर	23	200000	30000
22–	मै0 के0जी0एन0 ब्रिक वर्क्स	ग्राम धीमरखेड़ा, तहसील काषीपुर	23	200000	30000
23–	मै0 षुभ ब्रिक क्लीन	ग्राम बरखेड़ापाण्डे, तहसील काषीपुर	21	160000	24000
24–	मै0 सैनी थ्री स्टार ईट उद्य	ग्राम बहेड़ी तहसील जसपुर	23	200000	30000
25–	मै0 जी0आर0 ब्रिक फील्ड	ग्राम जाफरपुर तहसील रूद्रपुर	22	180000	27000
26–	मै0 के0जी0एन0 ब्रिक फील	ग्राम षोकानगला, तहसील बाजपुर	21	160000	24000
27–	मै0 षकील ब्रिक इण्डस्ट्रीज	ग्राम किषनपुर तहसील जसपुर	21	160000	24000
28–	मै0 इंसाफ ब्रिक फील्ड	ग्राम लम्बाखेड़ा, तहसील रूद्रपुर	23	200000	30000
29–	मै0 किसान ब्रिक उधयोग	ग्राम रामनगर तहसील बाजपुर	22	180000	27000
30–	मै0 न्यू सकलेनी ब्रिक फील्ड	ग्राम रमपुरा काजी तहसील बाजपुर	23	200000	30000
			योग	5300000	795000
		महायोग	**6095000**		

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:-02 शासनादेश के अनुसार सचल दलो का गठन न किया जाना।

प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग-1के पत्रांक 1747/VII-1-10/198-ख/207 दिनांक 12 जुलाई 2010 के द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भंडारण की रोकथाम, बाजार में खनिजों के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ड्रिलिंग कर्मचारियों तथा फील्ड परिचर आदि को खनिज मोहर्रिर के साथ सम्मिलित करते हुए राजकीय वाहन सहित खान अधिकारी/खान निरीक्षक के नेत्रत्व में सचल दलों का गठन करने के निर्देश दिये गए थे।

कार्यालय जिला खान अधिकारी रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि रिटेल भंडारण पंजिका के अनुसार 34 रिटेल भंडारण के संचालक पंजीकृत थे। जिनमें से 17 रिटेल भंडारण निरस्त एवं 2 रिटेल भंडारण की पंजीकृत अवधि समाप्त हो गयी। जिला ऊधमसिंह नगर विकासशील है। बहुत अधिक मात्रा में निरन्तर निर्माण कार्य चल रहा है। बहुमंजिला इमारतें भी निरन्तर बन रही है। लेकिन विभाग द्वारा प्रस्तुत पंजिका के अनुसार दर्शाये गए पंजीकृत रिटेल भंडारण अत्यधिक कम पाये गए। जबकि जिले के अंतर्गत अत्यधिक संख्या में रिटेल भंडारण विना किसी अनुज्ञा के संचालित हो सकते है। सचल दल का गठन न होने के कारण जिले में अवैध खनन, परिवहन, एवं भंडारण का खुलेआम व्यवसाय चल रहा है। इससे शासन को होने वाली राजस्व क्षति का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है।

उक्त शासनादेश के क्रम में सचल दल का गठन किया जाना अति आवश्यक है। लेकिन विभाग द्वारा सचल दल का गठन न किया जाना राजस्व प्राप्ति के प्रति उदासीनता का धोतक है।

विभाग के संज्ञान मे लाये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि वर्तमान में जनपद में कोई सचल दल गठित नहीं है,यह शासन स्तर का प्रकरण है।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर:- 03 मासिक विवरणी विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनरोपण ₹ 35.78 लाख।

उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1873/VII-1/16/158-ख/04टीसी; दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के अनुसार उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली,2005 यथा संशोधित नियम -13 (2) (ड़) के अनुसार हांट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी द्वारा मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर प्रति माह ₹50000/-का अर्थदण्ड देय होगा।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 सं. 1561/VII-1/80-ख़/2016 देहरादून दिनांक: 30 सितम्बर, 2016 उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी,बोल्डर) चुगान नीति,2016 के नियम 22(5) के अनुसार पट्टा धारक के द्वारा पट्टा क्षेत्र से निकासी किए गए खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रति माह प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। समयांतर्गत मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर प्रत्येक माह ₹ 2000/- का अर्थदण्ड आरोपित किया जाने का प्रावधान है |

कार्यालय जिला खान अधिकारी रुद्रपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण पत्र में उल्लिखित स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/ कम्पनियों के द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। उल्लिखित नियमानुसार मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर ₹ 3050000/- अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला नहीं गया है, (संलग्नक-1)।

2. पट्टागृहताओं के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खनिज पट्टा गृहीताओ द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये गए थे | विभाग द्वारा खनिज पट्टा गृहीताओ को मासिक विवरणी जमा न करने पर नोटिस निर्गत नहीं किया गया और अर्थदंड भी अधिरोपित नहीं किया गया था | 22 खनिज पट्टा गृहीताओ पर ₹ 528000/- अर्थदण्ड अधिरोपित न करने के कारण वसूला नहीं गया था (संलग्नक-2)।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा यथाशीघ्र वसूली की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: मासिक विवरणी विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 35.78 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

मासिक विवरण पत्र प्रस्तुत न करने/बिलंब से प्रस्तुत करने वाले स्टोन क्रेशर भंडारको का विवरण

क्र०सं	स्टोन क्रेशर भंडारंकर्ता का नाम	भंडारण की अनुमति	बिलंब से जमा की गयी मासिक विवरणी	कुल माह	मासिक अर्थदण्ड ₹50000 प्रति माह
1.	मैसर्स ओमकार इंफ्राटेक लि० ग्राम रतनपुरी, तहसील बाजपुर	28/07/2018	11/17, 10/17, 09/17, 08/17, 07/17,06/17, 05/17, 04/17,	08	400000
2.	मैसर्स फतेह स्टोन क्रेशर ग्राम बैतखेड़ी तहसील बाजपुर	22/10/2016	05/17, 03/17,	02	100000
3.	मैसर्स नेशनल स्टोन क्रेशर, ग्राम जुड़का तहसील काशीपुर	14/03/2017	04/2017 से 08/17 एवं माह 01/2018	06	300000
4.	मैसर्स गौला स्टोन इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0 ग्राम आनंदपुर तहसील किच्छा	22/11/2016	03/18, 01/18, 12/17, 10/17, 08/17, 07/17, 03/17,	07	350000
5.	मैसर्स एकता स्टोन क्रेशर ग्राम गुलजारपुर तहसील बाजपुर	05/06/2018	04/17, 07/17, 09/17,	03	150000
6.	मैसर्स आनंद स्टोन क्रेशर ग्राम ढकियाकला तहसील काशीपुर	17/10/2016	04/17, 07/17, 06/17, 05/17, 08/17,	05	250000
7	मैसर्स न्यू तराई स्टोन क्रेशर ग्राम आनंदपुर तहसील किच्छा	15/12/2016	04/17,05/17,06/17,07/17,08/17,10/17	06	300000
09	मै0 सूरज क्रेशर ग्राम दभौरा एहतमाली काशीपुर	23/11/2016	05/2017, 12/2016	02	100000
10	मै0 देव भूमि बिल्डर्स एवं स्टोन	08/11/2016	06/2017,04/2017,03/17,02/2017	04	200000

	क्रेशर प्रा0लि0 बाजपुर				
11	मैसर्स ओमकार इंफ्राटेक लि० ग्राम इटवा, तहसील बाजपुर	20/12/2016	01/2017 से 12/2017 तक	12	600000
12	मैसर्स अमृत स्टोन क्रेशर प्रा0 लि0, ग्राम कनौरी , तहसील बाजपुर	20/09/2017	04/17 से 07/17, 11/17 एवं 03/2018	06	300000
			योग	61	3050000

जनपद रूद्रपुर के अंतर्गत खनिज पट्टा धारकों के खनिज सम्बन्धी मासिक विवरणी से सम्बन्धी सूची|

क्रम सं.	पट्टा गृहीता का नाम	स्वीकृत पट्टा स्थल/तहसील का नाम	माह जिनके मासिक विवरणी नहीं जमा की गयी	कुल माह	अर्थदंड (रू 2000/- प्रतिमाह)
1.	श्री सुरेश चन्द्र जोशी	साधूनगर /सितारगंज	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
2.	श्री राजीव गोयल	पटौटी /बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
3.	श्री अजय कुमार	दमौरा एहतमाली/काशीपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
4.	श्री संदीप सिंह	खमिया न0 3 /किच्छा	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
5.	श्री कृष्णा	सुल्तानपुर / बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
6.	श्री इन्दर सिंह मेहता	खमिया न0 4 / किच्छा	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
7.	श्री जसवंत सिंह	सुल्तानपुर/बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
8.	श्रीमती शीला देवी	मड़ैया गुलजारी/बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
9.	श्री रविन्द्र सिंह	पटौटी /बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-

10.	श्री ध्रुव के सरना	पटौटी /बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
11.	श्री आन सिंह रावत	साधूनगर /सितारगंज	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
12.	श्री गुरुदीप सिंह	दमौरा एहतमाली/काशीपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
13.	श्री मनमोहन सिंह	खमिया न0 4 / किच्छा	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
14.	श्री रामऔतार	पटौटी /बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
15.	श्री निशिथ शर्मा	सरकड़ी/बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
16.	श्री सतीश कुमार	सुल्तानपुर/बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
17.	श्रीमती पूनम	मड़ैया गुलजारी/बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
18.	श्री समीर चतुर्वेदी	दमौरा एहतमाली/काशीपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
19.	श्री फरीदखान	साधूनगर /सितारगंज	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
20.	श्री सुशील वर्मा	सुल्तानपुर/बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
21.	श्री आदर्शपाल बसंस सामूहिक समिति	पटौटी /बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
22.	श्री गुलाम मुस्तफा	सुल्तानपुर/बाजपुर	04/2017 से 03/2018	12	24000/-
		योग		**264**	**528000**

भाग 2 (अ)

प्रस्तर : 06 रिवर ट्रेनिंग व विकास शुल्क एवं क्षतिपूर्ति न लिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹ 1.22 करोड़।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1689/VII-1/80-ख/2016, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के अनुसार उप खनिज की निकासी हेतु निगमों तथा निजी भूमि में निम्नानुसार दरों से शुल्क निर्धारित किया जाना था:-

1- रॉयल्टी

2- स्टाम्प शुल्क रॉयल्टी का 2 प्रतिशत

3-रिवर ट्रेनिंग एवं विकास शुल्क रॉयल्टी का 15 प्रतिशत

4- विकास शुल्क रॉयल्टी का 10 प्रतिशत

5- क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 15 प्रतिशत

6- पट्टाधारकों के द्वारा किया गया खर्च यथा पर्यावरणीय अनुमति खर्च, सीमांकन खर्च, आवेदन खर्च आदि रॉयल्टी का 1 प्रतिशत एवं उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16, दिनांक 17 नवंबर, 2017, उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2) 5 न्यास निधि हेतु अंशदान के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फ़ौण्डेसन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त रूप से जमा करेंगे। यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रबृत हुई समझी जाएगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान सरकारी निर्माण इकाइयों के द्वारा सीधे जमा की गयी रॉयल्टी का विवरण मांगा गया, जिसमे से 8 इकाइयों का विवरण उपलब्ध कराया गया, के अनुसार कुल रॉयल्टी रु. **30518727**.00 सीधे जमा की गई थी, का 40 प्रतिशत धनराशि ₹12207491.00 (**30518727** x 40%) जमा किया जाना था (विवरण संलग्न), यह धनराशि जमा नहीं की गई थी।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: रिवर ट्रेनिंग व विकास शुल्क एवं क्षतिपूर्ति न लिए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹1.22 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

- क्र सं	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि का विवरण	40 प्रतिशत जिला खनिज न्यास निधि एवं क्षतिपूर्ति मद में जमा का विवरण
1	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (PWD) काशीपुर		-
2	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड (PWD) रुद्रपुर	Nil	-
3	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (PWD) खटीमा	Nil	-
4	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, रुद्रपुर		-
5	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड सितारगंज	1193649.00	-
6	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड काशीपुर	6846490.00	-
7	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD), रुद्रपुर	1677917.00	-
8	अधिशासी अभियंता, ट्यूब वेल खण्ड, बाजपुर	353334.00	-
9	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, रुद्रपुर		-
10	अधिशासी अभियंता, एशियन विकास बैंक (PWD) खंड रुद्रपुर	20256142.00	-
11	अधिशासी अभियंता, ई/एम खंड (PWD) बाजपुर		-
12	अधिशासी अभियंता, पेयजल निर्माण इकाई, रुद्रपुर		-
13	निदेशक/ विभागाध्यक्ष कृषि विश्वविध्यालय, पंतनगर		-
14	निदेशक/ विभागाध्यक्ष SIDCUL, रुद्रपुर/पंतनगर		-
15	मुख्य नगर पालिका/ निगम, अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी रुद्रपुर/ काशीपुर/ खटीमा	191195.00	-
16	विभागाध्यक्ष, उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण, रुद्रपुर (वर्ष 2017-18 में निर्माणाधीन बहुमंजिला भवनो की पता एवं प्राक्कलित निर्माण मूल्य सहित सूची)		-
		30518727.00	

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:- 04 विनियमतीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क न लिए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹2.00 लाख ।

उत्तराखंड शासन औद्यौगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनाँक 19.11.2016 के अंतर्गत उत्तराखण्ड स्टोन क्रैशर अनुज्ञा नीति 2016 के बिन्दु 9 के अनुसार पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रैशर स्वामियों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांट की क्षमता (टन/घण्टा के अनुसार) घोषित किया जाना था। घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट का विनियमतिकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जाना था। विनियमितिकरण शुल्क की गणना घोषित क्षमता के आधार पर नीति के अध्याय-II के अनुसार किया जाना था । इस राशि में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना था । नीति की घोषणा के एक माह बाद ई प्रपत्र “जे” केवल विनियमितिकरण प्लान्ट को ही जारी किया जाना था । आगे अध्याय-II के अनुसार मैदानी क्षेत्र हेतु स्क्रीनिंग प्लांट का आवेदन शुल्क ₹ 02.00 लाख (क्षमता 100 टन/घण्टा तक) निर्धारित था । अध्याय-III के अनुसार स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत था ।

कार्यालय जिला खान अधिकारी रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जनपद के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित एक स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी द्वारा लेखा परीक्षा तिथि तक (अगस्त,2018) तक विनियमितीकरण व नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं किया है),जो इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	स्टोन क्रेशर का नाम	स्टोन क्रेशर के प्रतिदिनक्षमता (टन में)	स्टोन क्रेशर की अनुमति की वैधता दिनांक	विनियमितीकरण शुल्क (₹ 200000 का 50%)	दिनांक 19.11.2016 के अनुसार वार्षिक शुल्क 2016-17 एवं 2017-18	कुल देय धनराशि
1.	मै0 बाबा जोरावर सिंह स्क्रीसन प्लांट तहसील बाजपुर -उधम सिंह नगर	200	जुलाई, 2012 से --	₹100000	100000 लाख	200000

विनियमितीकरण व नवीनीकरण शुल्क जमा न करने के कारण ₹200000/- (विनियमितिकरण ₹ 100000+ नवीनीकरण ₹100000) की हानि हुई है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा यथाशीघ्र वसूली की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: विनियमतीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क न लिए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 2.00 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 05 नियमानुसार कार्यवाई न किये जाने के कारण कम राज्सव वसूली ₹2.17 लाख।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग -1 की अधिसूचना संख्या:1725/VII-1/16/158-ख/2004 देहरादून दिनांक 13 नवम्बर 2016 के अनुसार अवैध भण्डारकर्ता अवैध खननकर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन, 1957 की धारा-21 के उपनियम (2) एवं 21 के उपनियम -5 के अनुसार अर्थदंड धनराशि रू 200000 तक (रू दो लाख तक) के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज / परिवनह किये जा रहे अवैध खनिज/ भंडारित किये गए अवैध खनिज की मात्रा पर रायल्टी का पांच गुना की धनराशि उपरोक्तानुसार आंगणित कर वसूल की जाएगी।

मै0 गणपति स्टोन क्रेशर ग्राम नूरपुर तहसील बाजपुर जनपद उधम सिंह नगर के अभिलेखों की जाँज में पाया गया कि स्टोन क्रेशर भण्डारण स्थल पर भंडारित पाए गए रोड़ी, डस्ट आदि की मात्रा 38536 घन मी0 पायी गयी जो की अभिलेखों में 36030 घन मी0 दर्शायी गयीं थी, में पाए गए 2506 घन मी (38536-36030) अधिक उपखनिज के अंतर के सम्बन्ध कोई संतोषजनक साक्ष्य स्टोन क्रेशर भण्डारणकर्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, स्टोन क्रेशर निति 2016 के अध्याय -1 के बिंदु संख्या 2(ग) के अनुसार जाँच की मात्रा के अंतर का 5% से अधिक कुल (2506-36030x5/100= 704.5) घन मी उपखनिज पाया गया, खनिज मूल्य के रूप में रायल्टी का तीन गुना (704.5x154x3=₹325479.00) एवं अर्थदण्ड के रूप में ₹200000, कुल ₹525479.00 दिनांक 22 सितम्बर 2017 को भण्डारकर्ता द्वारा जमा कराया गया। लेकिन नियमानुसार रायल्टी का 5 गुना (704.5x154x5=₹542465) एवं अर्थदण्ड ₹200000, कुल 542465+200000=₹742465 वसूला जाना चाहिए था, अत: ₹(742465-525479)= ₹216986 कम वसूला गया।

उक्त विषय के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में कहा की उक्त प्रशमन निदेश महोदय द्वारा किया गया है अत: प्रकरण निदेशालय को संदर्भित किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
RS/DMO-23/2016-17	01,02,03	-
RS/DMO-120/2017-18	-	01,02,03 STAN- 01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : विभाग द्वारा अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

व्यय से संबन्धितविगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण: व्यय नहीं किया जाता है।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य**-** 1) शासन द्वारा निर्धारित राजस्व 60.00 करोड़ के सापेक्ष 71.32 करोड़ प्राप्त किया है, जो कि उपलब्धी है।
2) विभाग में तैनात कर्मचारियों की कमी के बाद भी सभी कार्य सुचारू / व्यवस्थित चलाया जा रहा है।

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य**-टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला खान अधिकारी, रूद्रपुर (उधम सिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

2.सतत्अनियमितताएः शून्य

3.लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रमसं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री राजपाल लेघा	उपनिदेशक,

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला खान अधिकारी, रूद्रपुर (उधम सिंह नगर)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (राजस्वक्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा
अधिकारी/राजस्व